

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला  
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 137 / 17

संस्थापन दिनांक:-01 / 06 / 17

फाईलिंग नं. 316 / 2017

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

पवन पिता महेश तिवारी, उम्र 32 वर्ष,  
निवासी भीमनगर बोड़खी आमला,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 22.08.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 10.05.2017 को रात करीब 11:50 बजे, थाना आमला से 16 किमी दक्षिण में ससुंद्रा से 2 किमी. मुलताई तरफ ढाबे के सामने ग्राम ससुंद्रा में फरियादी जितेंद्र को धारदार दांत से कांटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 10.05.2015 को अभियुक्त के साथ मुलताई से शादी से वापस आ रहे थे। ससुंद्रा से दो किमी. मुलताई तरफ करीब 11:45 बजे रात्रि में ढाबे पर रूक गये। तब पवन ने कहा कि वह शराब पीयेगा फिर जायेगा। जिस पर उन्होंने पवन से कहा कि शराब यहां नहीं मिलती है हम लोग चलते है। इसी बात पर से पवन ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी एवं थप्पड़ मुक्के से मारपीट किया जिससे उसकी बांयी आंख के पास चोट आयी। पवन ने उसके बांये हाथ के अंगूठे में दांत से काट दिया और उसे जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 244/17 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थिति बाबत नोटिश दिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी जितेंद्र का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 10.05.2017 को रात करीब 11:50 बजे, थाना आमला से 16 किमी दक्षिण में ससुंद्रा से 2 किमी. मुलताई तरफ ढाबे के सामने ग्राम ससुंद्रा में फरियादी जितेंद्र को धारदार दांत से कांटकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

### **।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

6 जितेंद्र (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना ससुंद्रा चौक की है। घटना के समय वह, अभियुक्त पवन और अन्य दोस्त मुलताई शादी से लौट रहे थे। लौटते समय उन्होंने एक ढाबे पर चाय पी और पवन किसी से फोन पर बात कर रहा था तब उन्होंने पवन से कहा कि चलो देर हो रही है जिस पर वान ने बाईक में बैठने से मना कर दिया था। इसी बात पर से उसका अभियुक्त से विवाद हो गया था और उसे धक्का लगने से वह मोटर सायकिल पर गिर गया था जिससे उसका अंगूठा गाड़ी के नीचले भाग पर दब गया था जिससे अंगूठे में कट लग गया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) थाने में की थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया था। साक्षी द्वारा अभियोजन का पूर्ण समर्थन न करने के कारण साक्षी से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसके बांये हाथ के अंगूठे में काट दिया था। साक्षी ने स्वतः कहा व्यक्त किया है कि धक्का लगने से गाड़ी में दबने से उसे चोट आयी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी इस बात को स्वीकार किया है कि झूमा झटकी में वह गाड़ी में गिर गया था जिससे उसे अंगूठे में चोट आयी थी।

7 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ वाद विवाद एवं झूमा झटकी करना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्त को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा फरियादी को दांत से काटकर चोट पहुंचाई गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी जितेंद्र को धारदार दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त पवन को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8 अभियुक्त के मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

9 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)